कार्यकारी परिषद की दिनांक 08 दिसम्बर 2013 को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा	-	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अतुल शर्मा	-	सदस्य
3.	डा0 (श्रीमती) किरण दतार	-	सदस्य
4.	श्री सोनाम वांगडी	-	सदस्य
5.	प्रो0 एस.सी. सिंह	-	सदस्य
6.	श्रीमती दीपा बस्नेत	-	(थामस चंडी, सदस्य का प्रतिनिधि)
7.	प्रो0 अशुम गुप्ता	-	सदस्य
8.	प्रो0 प्रताप चंद्र प्रधान	-	सदस्य
9.	डा0 सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
10.	डा0 धनीराज छेत्री	-	सदस्य
11.	श्री डी कानुनज़	-	विशेष आमंत्रित
12.	श्री टी.के कॉल	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्यों से खेद-पत्र प्राप्त हुए थे:

1. प्रो0 आर.आर राव
2. प्रो0 ए.एन. राई
3. प्रो0 वी .एस प्रसाद

बैठक की शुरूआत खदा पहनाकर हुई, अध्यक्ष द्वारा स्वागत के कुछ शब्द सदस्यों के परिचय के बाद कार्यसूची पर चर्चा हुई:

1. कार्यकारी परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रो0 अतुल शर्मा द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के पश्चात पुष्टि कर ली गई:

17.04 पर ई सी ने प्रेक्षण किया कि एक बृहत संख्या में मदें संपुष्टि हेतु लाई गई थी । इस पर ई सी ने सुझाव दिया कि संपुष्टि हेतु मदें न्यूनतम हों, ताकि ई सी के सांविधिक चरित्र में कोई गिरावट न आए ।

17.05: iv पर अध्यक्ष को (क) शिक्षा का स्तर, जिसपर कोई सी ए में नामांकन हेतु योग्य होता है, तथा (ख) सी ए मे अर्हता हेतु वर्षों की संख्या एवं (ग) कया सी ए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री है, के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था ।

2. कार्यकारी परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ए टी आर

अध्यक्ष ने परिषद की 17 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ए टी आर निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुत किया तथा इन्हें नोट किया गया :

(i) किसी ज्ञान प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति

(ii) कैंपस विकास

यह निर्णय लिया गया कि वी सी परिषद की अगली बैठक में कैंपस का समग्र आयोजना प्रस्तुत करेंगे, तथा लैंड स्केप आयोजना कैंपस योजना का एक आवश्यक अंग होना चाहिए । आगे यह सुझाव दिया गया था कि मिजोरम विश्वविद्यालय परिसर में जल संग्रहण प्रणाली की

असफलता के कारण खोजा जाना चाहिए , ताकि हमलोग इन गलतियों यदि कोई विश्वविद्यालय द्वारा की गई हो, तो हमलोग बच सकें ।

(iii) नेपाली एवं चाइनीज में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

(iv) पी एच डी के प्रति नामांकन हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंसी एक अर्हता डिग्री के रूप में

(v) छः वर्षों के लिए बी सी ए-एम सी ए एकीकृत पाठ्यक्रम

(vi) वित्त अधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट की नियुक्ति

(vii) गैर शिक्षण पदों का सृजन

(viii) भर्ती नियमावली

3. रिपोर्टिंग मदें:

अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्ट किया:

(1) भारत के बार-काउन्सिल का अनुमोदन

परिषद ने विश्वविद्यालय को बी सी आई का अनुमोदन प्राप्त करने पर बधाई दी ।

(2) जुलाई 13 में नामांकन में विशेष उपलब्धि

(3) सिलेबस का पुनरीक्षण/ड्राफ्ट निर्माण

परिषद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को सिलेबस के पुनरीक्षण/ड्राफ्ट निर्माण में संभावित नियोक्ताओं को संलग्न करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए ।

(4) शिक्षकों के ऊपर छात्रों का फी बैक

परिषद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को छात्रों के फीड बैक प्राप्त करने की प्रक्रिया को संस्थागत करना चाहिए, तथा शिक्षकों की कमजोरियों तथा उन्हें दूर करने के रास्ते का मूल्यांकन करने के लिए कार्यशाला माध्यम खोजा जाना चाहिए ।

(5) मुख्य रेक्टर के समक्ष विश्वविद्यालय पर प्रस्तुतीकरण

(6) कैंपस विकास

(7) शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती

(8) भविष्य योजना

4. संपुष्टि हेतु विषय:

परिषद ने कुलपति द्वारा संबंधित विषयों की अनिवार्यता के कारण की गई निम्नलिखित कार्रवाईयों की संपुष्टि की:

(i) आई यू सी एन/प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ नई दिल्ली के साथ भारत एवं बांग्लादेश के ऊपरी एवं नीचले तटवर्ती क्षेत्रों में तिस्ता नदी प्रणाली द्वारा उपलबध कराई गई पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं का मूल्य पर अनुसंधान हेतु एक एम ओ यू हस्ताक्षर करना :

(ii) वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

वार्षिक लेखा की संपुष्टि करने के दौरान परिषद ने सुझाव दिया कि इसमें प्राप्तियों एवं व्यय दोनों पर पाई चाट सहित एक बजट विश्लेषण सम्मिलित किया जाए । आगे यह भी सुझाव दिया गया कि दो वित्तीय वर्षों के बीच तुलना के दौरान जहां कहीं भी आंकड़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, वहां स्पष्टकारी टिप्पणी दी जानी चाहिए ।

वार्षिक रिपोर्ट की संपुष्टि के दौरान यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक अनुसंधान निधि का सृजन किया जाए, ताकि उदियमान युवा संकाय सदस्यों को उनके प्रकाशन शुल्क में सहयोग किया जा सके, जो कि आजकल कई प्रतिष्ठित जर्नलों द्वारा प्रभारित किया जाता है ।

5. अनुमोदन के प्रति विचारार्थ मामले :

(iii) पर्यटन एवं सेवा उद्योग में एन वी ई क्यू एफ

परिषद ने विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं सेवा उदयोग में डिप्लोमा प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया

(iv) समुदाय विश्वविद्यालय

परिषद ने विश्वविद्यालय को इस विषय पर धीमी कार्रवाई करने का निर्देश दिया क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की अपनी प्रकृति पर भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है ।

(v) सामाजिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान स्कूलों में ब्रीज पाठ्यक्रम

परिषद ने इस विषय को नोट किया ।

(vi) सिक्किम विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए इस आधार पर उच्चतर प्रभारों का अनुमोदन किया कि इनके संचालन में निम्नलिखित के संबंध में वृहत व्यय संलग्न है: (1) छात्रों के इंटर्नशीप पर रहने के दौरान यात्रा एवं दैनिक भत्ता एवं (2) उन्हें विशेषीकृत प्रशिक्षण देने के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रयोग न किया जाए:

(क) बीए-एल एल बी एवं एल एल एम
(ख) बी बी ए एवं एम बी ए
(ग) बी सी ए एवं एम सी ए
(घ) जन संचार में एम ए
(ङ) चाय प्रबंधन में पी जी डिप्लोमा
(च) बागवानी में बी एस सी एवं एम एस सी

(vii) गणित में एकीकृत पाठ्यक्रम की समाप्ति

परिषद ने शैक्षणिक परिषद की अगले शैक्षणिक सत्र से गणित में एकीकृत बी एस सी एम एस सी को अंतरिम समाधान के तौर पर निलंबित करने की अनुशंसा को स्वीकार किया ।

(viii) एम ए के ए आई ए एस के साथ एम ओ यू

परिषद ने एम ए के ए आई ए एस के साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

(ix) भुगतान मानदं

परिषद ने प्रस्तावित भुगतान मानदंड का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय के विभाग के परीक्षा संबंधित सभी कार्यों को संबंधित शिक्षकों की ड्यूटी का एक अंग बनाने के प्रयासों की प्रशंसा की ।

(x) परीक्षाओं में संचालन पर विनियमावली

परिषद ने परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली का अनुमोदन किया ।

(xi) पोस्ट □ॉक्टरल अनुसंधान/शिक्षण अनुभव की मान्यता

परिषद ने निर्देश दिया कि शिक्षकों के पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान/शिक्षण अनुभवों की स्टेज-I से स्टेज II में पदोन्नति हेतु उनके आवेदनों पर विचार करने के दौरान गणना की जाए ।

(xii) शिक्षकों के लिए किराया आर्थिक सहायता

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा गंगटोक में अथवा इसके आस पास आर्थिक साध्य किराए पर मकान लेने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों की दृष्टि से, साथ ही क्षेत्र के बाहर से अच्छे शिक्षकों को आकर्षिक एवं प्रतिधारित करने के लिए, परिषद ने सभी बाह्य स्थानिक कर्मचारियों के लिए किराया आर्थिक सहायता का कार्योत्तर अनुमोदन किया, जिसमें वे संवीदाजन्य कर्मचारीगण भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है, परंतु विविध कारणों से उन्हें नियमित नहीं किया गया तथा किराया आर्थिक सहायता हेतु जिनके आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में करीब एक वर्ष से लंबित है । आगे यह नोट किया कया कि कि यह अनुमोदन विश्वविद्यालय को अपने परिसर में स्थानांतरित होने तक की अवधि के लिए वैध होगा, जबकि उस स्थिति में इसके पास अपने कर्मचारियों के लिए अपना मकान होगा । आगे यह निर्णय लिया गया कि किराया आर्थिक सहायता का विस्तार दम्पति में से एक को ही किया जाएगा, यदि उनमें से दोनों विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तथा इस संबंध में किया गया कोई दोहरा भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वसूली कर ली जाएगी ।

(xiii) नियमित कर्मचारी, संवीदाजन्य कर्मचारी एवं स्कूलों के □ीन की नियुक्ति/विस्तार

परिषद ने निम्नलिखित नियमित कर्मचारियों, संवीदाजन्य कर्मचारियों एवं स्कूलों के डीन की नियुक्ति का अनुमोदन किया । परिषद ने एसोसिएट प्रोफेसरों की संबंधित स्कूलों के डीन के तौर पर नियुक्ति का ऐसे समय तक के लिए अनुमोदन किया, जब तक कि उन स्कूलों में प्रोफेसर उपलब्ध न हो जाते हैं । आगे, चूंकि एसोसिएट प्रोफेसरों की स्कूलों की डीन के रूप में नियुक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगी अत: विश्वविद्यालय के संगत सांविधि के अनुसार परिषद ने एन एसोसिएट प्रोफेसरों को अपने संबंधित विभागों में प्रमुख के रूप में बने रहने की अनुमति भी प्रदान की:

क्रम सं0	**पद**	**नाम**
1	**अनुभाग अधिकारी (2,दोनों यू आर)**	**सुश्री पुनम छेत्री** **श्री विशाल तामंग**
2	**नर्सिंग परिचारक (1, यू आर)**	**सुश्री ममता प्रधान**
3	**हिंदी टंकक (1, यू आर)**	**सुश्री दीपिका सुब्बा**
4	**संवीदा आधार पर प्रोफेसर**	**प्रो0 जे.पाटिल, अंग्रेजी** **प्रो0 एन.भट्टाचार्या, माइक्रोबायोलॉजी**
5	**संवीदा पर शिक्षकों का विस्तार**	**प्रो0 बी. चक्रवर्ती, अंग्रेजी** **प्रो0 एम एम वाणी, शिक्षा** **प्रो0 बी थापा , हिंदी** **प्रो0 निलाद्री बाग, बागवानी**

		□ा0 अरूण छेत्री, बागवानी **□ा0 विमल धिमिरे, बॉटनी** **□ा0 एन विजयलक्ष्मी, बॉटनी** **□ा0 एन. ठाकुर, माइक्रोबायोलॉजी** **श्रीमती परविन्दर कौर, अंग्रेजी***
6	**रसायन शास्त्र में वैज्ञानिक अधिकारी**	**□ा0 विश्वजीत गोपाल राय**
7	**सलाहकार की नियुक्ति**	**□ा0 के एम देव**
8	**स्कूलों के □ीन**	**अनुमोदित नाम**
	जीवन विज्ञान स्कूल	**प्रो0 जे.पी तामांग** **□ा0 सत्यनारायण, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख बॉटनी विभाग (प्रो0 जे पी तामांग के कार्यभार ग्रहण करने तक)**
	भाषाएं एवं साहित्य स्कूल	**प्रो0 प्रताप सी प्रधान**
	भौतिक विज्ञान स्कूल	**□ा0 सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख भौतिकी विभाग**
	मानव विज्ञान स्कूल	**□ा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, भुगोल विभाग**
	सामाजिक विज्ञान स्कूल	**□ा0 नवल के पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, पी सी एम एम विभाग**
	व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	**□ा0 अप्पाला एन शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख वाणिज्य विभाग**

***वह ₹ 30,000/- के समेकित वेतन एवं ₹ 500 के चिकित्सा भत्ते पर हैं । वह किसी उचित चयन प्रक्रिया से होकर अन्य सहायक प्रोफेसर की तरह नहीं गुजरा है ।**

(xiv) एस यू टी ए संविधान

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के संशोधित संविधान का अनुमोदन किया ।

(xv) नेपाली एवं चाइनीज में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा नेपाली एवं चाइनीज में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का वर्धित पाठ्यक्रम के रूप में अनुमोदन किया ।

(xvi) पी एच □ी के प्रति नामांकन हेतु अर्हता □िग्री के रूप में चार्टर्□ एकाउन्टेंसी

परिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अपने किसी विभाग के पी एच डी कार्यक्रम के प्रति नामांकन हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा कॉस्ट एकाउन्टेंट पर योग्यता के रूप में विचार कर सकता है,यदि वह निम्नलिखित मानदंड पूरा करता है:

(क) वह प्रथम श्रेणी में एक स्नातक है ।

(ख) उसने सी ए के कम से कम तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को किया है; एवं

(ग) उन्हें 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव प्राप्त है ।

(xvii) पदों का सृजन

परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित 25 पदों तथा यू जी सी द्वारा स्वीकृत 73 पदों में से निम्नलिखित तीन पदों को सृजित किया :

(1) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	**1 पद**
(2) व्यवसायिक सहायक	**1 पद**
(3) प्राणीशास्त्र हेतु प्रयोगशाला सहायक	**1 पद**

किन्हीं अन्य विषय के अंतर्गत अध्यक्ष ने निम्नलिखित तीन मदों को उठाया:

1. अध्यक्ष ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, कोलकाता के बी.कॉम आनर्स के शीर्षस्थ छात्र हेतु स्वर्ण पदक लागू करने के प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा एवं सूचित किया कि संस्थान इस उद्देश्य के लिए सिर्फ ₹ 1.25 लाख का ही प्रस्ताव दे रहा है । किसी स्वर्णपदक की लागत की दृष्टि से परिषद ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष संस्थन के साथ आई सी ए आई मेडल फॉर बी कॉम आनर्स टॉपर नाम से एक स्वण कलईकृत पदक लागू करने के संबंध में बातचीत करें ।
2. अध्यक्ष ने शरद अवकाश के दौरान चयनित होने के लिए संभावित संकाय सदस्यों की नियुक्ति हेतु परिषद की पूर्वानुमति के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु इसका अनुमोदन नहीं किया गया ।
3. अध्यक्ष ने श्री पवन कुमार चामलिंग, मुख्यमंत्री, सिक्किम का नाम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री (ओनोरिस काउसा) आवर्ड किया जाने के लिए प्रस्तावित किया, परंतु परिषद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय से से धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित की गई ।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(टी.के.कॉल)	**(प्रो.टी.बी. सुब्बा)**
रजिस्ट्रार	**कुलपति**
सचिव	**अध्यक्ष**